बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 211145 पटना, दिनांक:- 03/12/14
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(किस्त)-102-21/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ।

विषय:- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों को पुनरीक्षित दर से किश्तों में सहायता राशि के भुगतान के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-188382 दिनांक-16.06.14 एवं 206219 दिनांक-21.10.14

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय पत्र संख्या-188382 दिनांक-16.06.14 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से इंदिरा आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में ₹ 60,000 (साठ हजार रूपये) सहायता राशि का भुगतान अग्रिम स्वरूप किये जाने तथा उक्त राशि से लाभुकों द्वारा छत ढलाई तथा शौचालय निर्माण पूर्ण करने के बाद ही लाभार्थी को द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में अवशेष राशि (₹ 10,000 सामान्य क्षेत्रों के लिए एवं ₹ 15,000 IAP जिलों के लिए) भुगतान करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया था ।

जिलों में योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के अनुरूप दिनांक 15.11.2014 को सभी लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि के रूप में उनके बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के निमित्त विभागीय पत्र संख्या-206219 दिनांक-21.10.14 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि के रूप में सामान्य जिलों में 35,000 रूपये एवं IAP जिलों में 37,500 रूपये का अंतरण किया जाय । साथ ही लाभुकों द्वारा मकान निर्माण की भौतिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए दी गयी सहायता राशि की बैंक से चरणबद्ध तरीके से निकासी के लिए लाभुकों से Stop Payment का आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था अपनाने का निदेश दिया गया था ।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के विरूद्ध इंदिरा आवास के लाभुकों को विभागीय पत्रांक-188382 दिनांक-16.06.14 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही दो किश्तों में यथा- प्रथम किश्त के रूप में 60,000 रूपये एवं द्वितीय/अंतिम किश्त में अवशेष राशि (10,000 रूपये सामान्य जिलों के लिए एवं 15,000 रूपये IAP जिलों के लिए) भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

इंदिरा आवास इकाईयों के निर्माण में अकुशल मजदूरी मद में मनरेगा अंतर्गत मजदूरी के भुगतान किये जाने के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधान के अनुरूप इंदिरा आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों पर मानव दिवस सृजित कर इंदिरा आवास के विभिन्न चरणों में अकुशल मजदूरी का भुगतान करने का विस्तृत निदेश विभागीय पत्रांक-201122 दिनांक-12.09.14 की कंडिका-5 में दिया गया है । इसके निमित्त इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के दौरान मास्टर रौल का संधारण किया जायेगा जिसके आधार पर मनरेगा की मजदूरी की राशि लाभुकों को उनके बैंक खाता में अंतरित की जायेगी ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
3/12/14

ज्ञापांक 21145 पटना, दिनांक 03/12/14

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव
3/12/14